

बिहार सरकार

वित्त विभाग

अधिसूचना

03-06-2020

पटना दिनांक-

सं०-एम-4-02/2020...2916.../वि०, भारत के संविधान के अनुच्छेद 283(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल बिहार कोषागार संहिता, 2011 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संहिता बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ-(1) यह संहिता बिहार कोषागार (संशोधन) संहिता, 2020 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।

2. बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम-349 में संशोधन :-

(क) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 के उपनियम (2) (v) में प्रयुक्त शब्द "तीन क्रमिक वित्तीय वर्ष" को "पांच क्रमिक वित्तीय वर्ष" से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(ख) बिहार कोषागार संहिता, 2011 के नियम 349 के उपनियम (2) (vii) के बाद निम्नलिखित उपनियम (2) (viii) जोड़ा जायेगा :-

"दिनांक 01.04.2019 के पूर्व खोले गये सभी पी०एल०/पी०डी० खाते को CFMS व्यवस्था के अंतर्गत संधारण की तिथि default रूप से 01.04.2019 माना जायेगा एवं पी०एल०/पी०डी० खाते में जमा अप्रयुक्त राशि पांच क्रमिक वित्तीय वर्ष के अंत में व्ययगत हो जायेगी।"

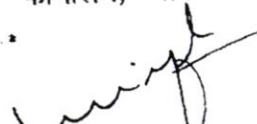
बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(राहुल सिंह)
सचिव(व्यय)

पटना, दिनांक...03-06-20

ज्ञापांक:-एम-4-02/2020...2916.../वि०

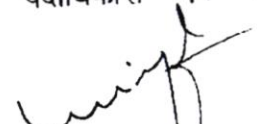
प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


सचिव(व्यय)

पटना, दिनांक...03-06-20

ज्ञापांक:-एम-4-02/2020...2916.../वि०

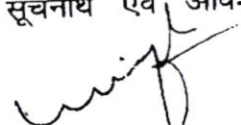
प्रतिलिपि:- सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


सचिव(व्यय)

पटना, दिनांक...03-06-20

ज्ञापांक:-एम-4-02/2020...2916.../वि०

प्रतिलिपि:- ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।


सचिव(व्यय)